


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा
लल्लूराम वगै० बनाम राज० सरकार

किस्म मुकदमा-प्रा०पत्र 128 एल.आर.ए.

मु०नं०-43 / 2025

पीठासीन अधिकारी- डॉ० नवनीत कुमार (आर०ए०एस०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार सिकराय को जवाब प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3876/3588, 3877/3588, 3878/3588, 3879/3588 वाके रामा गढोली तह० सिकराय जिला दौसा में स्थित है जो कि प्रार्थीगण के कब्जेकाशत की भूमि है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2025 को किया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी कार्यवाही करवाना चाहते है। बिना पत्थरगढी के प्रार्थीगण की भूमि के सीमाचिन्ह नष्ट होने का खतरा बना रहता है तथा सीमा विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ०धा० 128 एल.आर.ए. स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किए जावे।</p> <p>हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रकरण में तहसीलदार सिकराय द्वारा भी जवाब पेश किया गया है। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना उचित दर्शित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2025 को किया जा चुका है। इसलिए अ०धा० 128 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थीया अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है ताकि किसी भी प्रकार के सीमाचिन्ह विवाद से बचा जा सके। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 3876/3588, 3877/3588, 3878/3588, 3879/3588 वाके रामा गढोली तह० सिकराय जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है तहसीलदार उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतू तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा